राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 33/2008/राजसमन्द

दी बैंक आफ राजस्थान,कांकारोली

जरिए मैनेजर जी.एस.जौहरी पुत्र एच एस जौहरी प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक
राजसमन्द

2.शब्बदी हुसैल 3. मोहम्मद हुसैक्न
पिसरान हाजी फिदा हुसैन बोहरा
निवासी कांकरोली जिला राजसमन्द ...अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः:

श्री मदन लाल गुर्जर
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी संख्या एक की ओर से

श्री रवीन्द्र सेठी
अभिभाषक — अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तीन की ओर से

निर्णय दिनांक :– 21-09-2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) धारा 65 के अन्तर्गत उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत–भीलवाडा (जिसे आगे कलक्टर(मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 210/2006 को पारित निर्णय दिनांक 31.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या दो एवं तीन ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 01.07.2003 को एक लीज डीड (किराया नामा) पंजीयन हेत उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की। उप पंजीयक ने उक्त लीज डीड दस्तावेज की मालियत रू. 89,256/–मानकर उस पर मुद्रांक कर रू. 1790/– व पंजीयन शुल्क रू. 900/– कुल रू. 2690/–वसूल कर लीज डीड को पंजीकृत करके प्रार्थी को लौटा दी। तत्पश्चात प्रश्नगत दस्तावेज के निरीक्षण करने पर उक्त दस्तावेज कमी मालियत का होने का आक्षेप लगाये जाने पर कमी मुद्रांक कर रू. 21,465/– एवं पंजीयन शुल्क रू. 1215/– जमा कराने हेतु उप पंजीयक द्वारा नोटिस जारी किया गया। किन्तु नोटिस की पालना में पक्षकारों द्वारा कमी मुद्रांक कर रू. 21,465/– एवं पंजीयन शुल्क रू. 1215/– जमा नहीं कराने के कारण उप पंजीयक ने मुद्रांक अधिनियम की धारा 51/52(2) व 53 के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) उक्त रेफरेन्स का निस्तारण 31.08.2007 को करते हुए रेफरेन्स स्वीकार कमी मुद्रांक कर रू. 21,465/– एवं पंजीयन शुल्क रू.

1215/– मय शास्ति रू. 120/– कुल रू.22,800/–सम्बन्धित पक्षकार के वसूल करने का विवादाधीन आदेश पारित किया है । कलक्टर(मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 31.08.2007 से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए राजस्व की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौरान कथन है कि राजस्व द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) अलवर के आदेश दिनांक 31.08.2007 के विरूद्व निगरानी अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है तथा इस विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में प्रत्येक दिवस में विलम्ब का उचित कारण नहीं बतलाया गया है। इसलिये निगरानी पेश करने का विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से राजस्व की निगरानी मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) अलवर के निगरानी अधीन आदेश की किसी भी तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये राजस्व की निगरानी अस्पष्ट एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में राजस्व द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) अलवर के निर्णय दिनांक 31.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कलक्टर (मुद्रांक) का आदेश दिनांक 31.08.2007 न्याय,नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि दिनांक 15.03.2007 की पेशी नियत थी किन्तु कलक्टर (मुद्रांक) को राज्य कार्य से जयपुर दौरान पर होने से आगामी कैम्प कोर्ट की सूचना दे दिये जाने पर दिनांक 23.03.2003 नियत की गई, किन्तु पेशी दिनांक 23.03.2007 की सूचना प्रार्थी को जरिए नोटिस नहीं दी गई और इसी प्रकार दिनांक 13.07.2007 के बाद पेशी

दिनांक 20.07.2007 नियत की गई, परन्तु तारीख पेशी दिनांक 20.07.2007 को पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई तथा अचनाक दिनांक 27.07.2007 की पेशी कर ली गई, जिसकी सूचनी भी प्रार्थी को नहीं दी गई,इसलिए बिना सूनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया जाना, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उनका कथन है कि ड्राफ्ट आफ लीज डीड की सही मालियत पर निष्पादित किया गा है,जिसको उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत करके लौटा दिया था, बाद में कमी मुद्रांक रेफरेन्स प्रस्तुत करना अविधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीयन दस्तावेज किरायानामा है तथा किरायानाम को कमी मुद्रांक के तहत निर्णीत नहीं किया जा सकता और ना ही मुद्रांक अधिनियम की धारा 51/52(2) व 53 के अन्तर्गत प्रकरण संधारण योग्य है। उनका यह भी कथन किया कि निर्णय पारित करने से पूर्व मुद्रांक नियम 66 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा कोई जोच नहीं की गई जबकि जांच किया जाना आवश्यक था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विवादाधीन आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या एक राजस्व की ओर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कलक्टर (मुद्रांक) के विवादाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुंनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि दिनांक 15.03.2007 की पेशी नियत थी किन्तु कलक्टर (मुद्रांक) को राज्य कार्य से जयपुर दौरान पर होने से आगामी कैम्प कोर्ट की सूचना दे दिये जाने पर दिनांक 23.03.2003 नियत की गई, किन्तु पेशी दिनांक 23.03.2007 की सूचना प्रार्थी को जरिए नोटिस नहीं दी गई और इसी प्रकार दिनांक 13.07.2007 के बाद पेशी दिनांक 20.07.2007 नियत की गई, परन्तु तारीख पेशी दिनांक 20.07.2007 को पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई तथा अचानक दिनांक 27.07.2007 की पेशी कर ली गई, जिसकी सूचनी भी प्रार्थी को नहीं दी गई,इसलिए बिना सूनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया जाना, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि विवादाधीन आदेश दिनांक 31.08.2007 पारित करने से पूर्व तारीख पेशी की सूचना प्रार्थी को नहीं दी है,क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य अथवा सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि की होती हो कि उन्होंने प्रार्थी को तारीख पेशी की सूचना है। किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दण्डित किया जाना

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कलक्टर (मुद्रांक) का विवादाधीन आदेश दिनांक 31.08.2007 को अपास्त करते हुए प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात न्याय संगत आदेश इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर पारित करें, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के 30 के भीतर कलक्टर (मुद्रांक) समक्ष उपस्थित हों।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य